राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 75/2014/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
तृतीय, प्रतिकरापवंचन जोन–द्वितीय, जयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम्

मै. गुप्ता इण्डस्ट्रीज,
सी–26, चांदपोल बाजार, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री आर.एस.जाजू,
अभिभाषक ......प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.01.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 231/अपील्स–तृतीय/12–13/ में पारित आदेश दिनांक 07.08.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी तृतीय, प्रतिकरापवंचन संभाग–द्वितीय जयपुर (जिसे आगे **''सशक्त अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2012 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **''अधिनियम''** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित कर एवं शास्ति रूपये 1,35,730/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 30.08.2012 को वाहन संख्या यू.पी.–25 टी–9297 को आगरा से माल परिवहनित करते हुये खोले के हनुमानजी, जयपुर में रूकवाकर चैक किया गया। वाहन चैकिंग के दौरान वाहन चालक व माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल तिल्ली खल के निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये :–

1. जी.आर.न. 2933 दिनांक 29.08.2012 मैसर्स न्यू आगरा बुल्लंद, आगरा।
2. बिक्री हेतु प्रोफार्मा क्रमांक 14 दिनांक 29.08.2012 माल 209 बैग्स तिल के वजन 158.75 क्विंटल मै. हेमन्त इण्डस्ट्रीज आगरा द्वारा मै. गुप्ता इण्डस्ट्रीज जयपुर के नाम जारी ।

उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेज नहीं होने एवं ना ही कोई दस्तावेज भूल कर आने संबंधी बयान चालक द्वारा सशक्त अधिकारी को दर्ज कराया। परिवहनित माल विक्रय हेतु कन्साइनमेंट पर आया है अतः माल के साथ वैट–47 होना अनिवार्य है। चूंकि माल राज्य के बाहर आगरा से आयात किया जा रहा था अतः माल के साथ वैट–47 नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 76(2बी) का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुये माल को अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् निरूद्ध किया जाकर वाहन को मय के कर भवन (कर–विभाग) परिसर में खडा किया गया। प्रेषक फर्म मालिक परमानन्द से दूरभाष पर वार्ता करने पर उनके द्वारा माल के साथ प्रपत्र वैट 47 प्रेषित नहीं जाना जाहिर किया गया। प्रेषित फर्म मैसर्स न्यू गुप्ता इण्डस्ट्रीज, जयपुर के फर्म

लगातार................2

मैनेजर श्री बाबूलाल ने निरूद्ध आदेश के कम में लिखित जवाब एवं वैट–47 संख्या 8592474 जिसमें माल के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज बिल न. 14 व जारी बिल्टी नं. 2933 प्रस्तुत किये गये एवं जवाब में वैट 47 कहा कि इस माल के पेटे है दिनांक 29.08.2012 को वीरेश नाम का ड्राईवर ट्रक भरकर आगरा से रवाना हुआ था किन्तु वाहन चालक का स्वास्थ्य खराब होने के कारण दूसरे वाहन चालक को माल लेकर दिनांक 30.08.2012 को जयपुर पहुंचा। वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत जवाब की समीक्षा करने पर सशक्त अधिकारी द्वारा पाया गया कि वाहन चालक द्वारा दिये बयान में वैट–47 भूलकर अथवा छोड़कर आने के संबंध में जो स्पष्टीकरण दिया गया है एवं प्रेषक फर्म स्वामी से दूरभाष पर हुई वार्तानुसार माल के साथ घोषणा पत्र वैट–47 भेजा ही नहीं गया। सशक्त अधिकारी द्वारा वक्त जांच वांछित घोषणा पत्र के अभाव में माल परिवहनित करते हुये करवंचना में व्यवसायी का साथ देने के कारण नियम 53(1) एवं अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आदेश दिनांक 30.08.2012 को पारित करते हुये कर रुपये 19,390/– व शास्ति रूपये 1,16,340/– कुल रुपये 1,35,730/– प्रत्यर्थी के विरुद्ध आरोपित की गयी। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 07.08.2013 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित कर व शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है। उन्होनें सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवसायी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि वैट–47 क्रमांक 8592474 हेमन्त इण्डस्ट्रीज ने दिनांक 29.08.2012 को भर कर वाहन चालक को संभलाया था। तत्पश्चात आगरा में उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाने से वाहन चालक द्वारा अपने भाई सर्वेश (दूसरा वाहन चालक) को माल से संबंधित बिल बिल्टी संभलवाकर माल को जयपुर ले जाने हेतु भिजवा दिया गया। वाहन को जब सशक्त अधिकारी द्वारा चैक किया गया और माल से संबंधित वैट–47 मांगा गया उस समय उक्त घोषणा पत्र वाहन चालक के पास नहीं था। उक्त घोषणा पत्र वाहन चालक द्वारा बाद में पृथक से सक्षम अधिकारी को दिया गया। उन्होने अपने कथन में यह भी कहा कि अभियोजन अधिकारी ने भी वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं वैट–47 की कोई जांच किये बिना ही कर एवं शास्ति आरोपित की है। जबकि जांच अधिकारी को मूल भरा हुआ वैट–47 फॉर्म बाद में सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा जो शास्ति आरोपित की है वह अविधिक है एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत है। अतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सशक्त अधिकारी के समक्ष वक्त जांच दिये गये बयान के अनुसार वाहन चालक/माल प्रभारी श्री सर्वेश पुत्र श्री रुपाराम के पास जी.आर.नं0–2933 दिनांक 29.08.2012 एवं

लगातार................3

बिक्री हेतु प्रफोर्मा क्रमांक 14 दिनांक 29.08.2012 ही दस्तावेज उपलब्ध थे। मूल घोषणा पत्र वैट–47 उपलब्ध नहीं था। पत्रावली पर मैसर्स हेमन्त इण्डस्ट्रीज, आगरा के द्वारा प्रत्यर्थी को बिक्री हेतु प्रोफार्मा नं. 14 दिनांक 29.08.2012 में वैट 47 क्रमांक 8592474 का उल्लेख किया हुआ है किन्तु घोषणा पत्र वैट–47 वाहन में परिवहनित माल के साथ उपलब्ध नहीं था। आरवैट एक्ट 2003 की धारा 76(2)(बी) एवं सपठित नियम 53(1) के अनुसार राज्य के बाहर से राज्य में माल के परिवहन के लिये वाहन के साथ घोषणा पत्र वैट–47 दस्तावेज का होना वैधानिक रुप से अपरिहार्य घोषित किया गया है। वक्त जांच परिवहनित माल के साथ घोषण पत्र वैट–47 नहीं होना आर वैट एक्ट 2003 की धारा 76(2)(बी) एवं नियम 53(1) का उल्लंघन है। बाद में मैसर्स गुप्ता इण्डस्ट्रीज की ओर से श्री बाबूलाल द्वारा दिनांक 30.08.2012 को पृथक से प्रस्तुत घोषणा पत्र वैट–47 क्रमांक 8592474 (मूल भरा हुआ) 'पश्चवर्ती सोच' (After Thought) से अभिप्रेरित होने के कारण अस्वीकार करने योग्य है। माल संचालन के दौरान माल संबंधी दस्तावेजों में वैध घोषणा पत्र प्रारुप वैट–47 संलग्न नहीं किया जाकर अधिनियम की धारा 76(2)(बी) एवं सपठित नियम 53(1) के प्रावधानों की अवहेलना की गयी है। अतः प्रत्यर्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् माल कीमतन रूपये 3,87,800 / – पर 5 प्रतिशत से कर रुपये 19,390 / – व 30 प्रतिशत से शास्ति रूपये 1,16,340 / – आरोपित किये, जो विधिसम्मत है।

6. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 07.08.2013 को अपास्त किया जाकर, सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2012 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष